न्यायालय : राजस्व मण्डल (म0प्र0) ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

पुनरीक्षण क्र0/ /15

निगरानी 1615-II-15

Rs. 20/-

167
2.6.15

01- जियालाल कोल उम्र-60 वर्ष तनय स्व0 मनोहर कोल पेशा-खेती व मजदूरी
02- चरकी कोल उम्र-50 वर्ष पति स्व0 सुखलाल कोल निवासीगण ग्राम रामपुर नैकिन, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी, म0प्र0.

------निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

01- जोखूलाल गुप्ता उम्र-65 वर्ष तनय ठाकुरदीन गुप्ता पेशा-सेवा निवृत्त शिक्षक निवासी ग्रामरामपुर नैकिन तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी, म0प्र0.
02- म0प्रराज्य शासन द्वारा कलेक्टर रीवा

------अना0गण.

श्री. शिवप्र0 सा0 द्विवेदी ....एड द्वारा आज दिनांक 02-06-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी, दिनांक 30.03.015 राजस्व प्रक0क्र0 5/अ-12/2013-014 मे पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है :-

(01) अधीनस्थ न्यायालय की सीमांकन कार्यवाही मे पुष्टिकरण का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.03.015 जिसके द्वारा आवे0गण की आपत्ति निरस्त की गई थी, सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धातो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

(02) म0प्र0भू0रा0सं0की धारा 129 के नियमो व व्यवस्था को ध्यान मे रखकर के भूमि0 150/2 के सीमांकन संबंधी सही कार्यवाही नही कीगई तथा

प्रकरण कमांक R -1615-II/2015 **जिला** रीवा

जियालाल / जोन्द्र लाल

किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। वह यह भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि निगरानी मेमो के विन्दु कमांक 3 में अंकित सर्वे नम्बर सीमांकन हेतु आवेदित सर्वे कमांक से लगे हुए हैं एवं उनके हित प्रभावित हुए है तथा बिन्दु कमांक 3 में अंकित सर्वे कमांकों के वे भूमिस्वामी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही के संबंध में पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। न्यायहित में तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक गण द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व के सर्वे कमांकों के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वे उनकी भूमि का सीमांकन संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत समस्त सरहदी कृषकों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही करें। आवेदकों को भी आदेशित किया जाता है कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे भी निगरानी मेमो में अंकित सर्वे कमांकों के भूमिस्वामी स्वत्व के अधिकार अभिलेख के साथ सीमांकन हेतु आवेदन देकर सीमांकन की कार्यवाही संपादित कराने हेतु स्वतंत्र है। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

8.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -1615-II/2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश जियालाल / जोखूलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये। यह निगरानी तहसीलदार रामपुर नैकिन के प्रकरण कमांक 5 / अ–12 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.3.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 30.3.2015 की प्रमाणित प्रति तथा उसके साथ अन्य सीमांकन संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि सर्वे कमांक 150 / 2 के सीमांकन हेतु अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुकम में राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के आदेश दिए गये । उक्त तथ्य तहसीलदार के आक्षेपित आदेश में दर्शित है। तहसीलदार के आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आवेदकगण द्वारा आपत्ति आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है जिस पर अनावेदक से जवाब भी लिया गया तत्पश्चात सीमांकन आदेश दिनांक 30.3.15 पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक जियालाल को सूचना पत्र जारी कर सूचना दी गयी है तथा सूचना पत्र पर जियालाल के हस्ताक्षर भी है और मौके पर भी सीमांकन के समय जियालाल उपस्थित था किन्तु पंचनामा आदि सीमांकन संबंधी कार्यवाही पर हस्ताक्षर नहीं किए गये। हस्ताक्षर करने से मना किया गया। सूचना पत्र दिनांक 17.12.13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर आवेदक जियालाल के हस्ताक्षर हैं किन्तु पंचनामा दिनांक 17.12.13 पर हस्ताक्षर नहीं है/पंचनामा में यह टीप अंकित है कि आवेदक जियालाल मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित थे किन्तु हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि उसे सीमांकन की सूचना थी तथा उसका मौके पर भी उपस्थित रहना प्रमाणित हो रहा है। इसके साथ ही आवेदक कमांक 2 को सूचना पत्र जारी होना नहीं पाया गया और न ही उसके लिए सूचना पत्र जारी ही किया गया और न ही सूचना पत्र एव पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर ही हैं इससे यह स्पष्ट है कि वह सीमांकन कार्यवाही से अनभिज्ञ है, किन्तु आवेदक कमांक 2 प्रकरण में यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह सरहदी कृषक है तथा यह भी सिद्ध करने में सफल नही हुआ है कि उसका हित इस आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही से	